न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6 / 2014 (उदयपुर डिक्री)

भाणा पिता नाना जी मीणा, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रमेश पुत्र सोकली पुत्री थावरा जी मीणा, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मंगली पुत्री रूपा जी मीणा, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जीजा पुत्री रूपा जी मीणा, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
4. जसवन्त पिता रामसिंह जी चौहान, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती नाथी बेवा कचरा जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती जसोदा बेवा किशनलाल जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
7. दिनेश पिता किशनलाल जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती पुष्पा पुत्री किशनलाल जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती जमना बेवा रतना जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
10. कुरा पिता रतना जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती दलु पत्नी स्वर्गीय भीमा जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
12. कान्ति पिता भीमा जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

13. मंगला पिता रतरा जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती धलु पत्नी स्वर्गीय गौतम जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
15. बंशी पिता गौतम जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
16. होमा पिता दीता जी डांगी, निवासी थाणा, तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी एवं भू–अभिलेख अधिकारी, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव
दिनांक 16.06.2011, प्र.सं. 136/2007

———/———

निर्णय **दिनांक 25–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की माता सोकली व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के यहां घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाणा की विवादित आराजीयात में वादीगण का भी हक अधिकार है। अतएवं उन्हें नामान्तरकरण की कार्यवाही में छोड़ दिये जाने के कारण खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद के सन्दर्भ में निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय से भूमि को पैत्रृक मानते हुए नाना की विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम भूमि दर्ज होने, लेकिन नाना के शेष वारिसान अर्थात पुत्र स्वर्गीय थावरा व रूपा का नाम दर्ज नहीं किया, क्योंकि नाना के तीन पुत्र नाना के जीवनकाल में ही फोत हो गये थे इसलिए विरासत का नामान्तरकरण संख्या 88 त्रुटि पूर्ण होने से तथा प्रतिवादी संख्या भाणा द्वारा भी दिनांक 18–05–2005 (वास्तव में दिनांक 14–02–2005) को सहमति दी जा चुकी है। अतएवं दिनांक 16–06–2011 को वादीगण का वाद

डिक्री करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 भाणा के साथ वादीगण को भी संयुक्त खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–02–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08–01–2014 को प्रत्यर्थी रमेश के कहने पर हुई। इससे पूर्व उसे उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अतएवं अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 के आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से देते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही उक्त निर्णय की जानकारी थी एवं सहमति बंटवाड़े की जो अपील सन् 2012 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने पेश की उसमें भी सन् 2012 में उसकी तामिल हो चुकी थी तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का हवाला उक्त अपील में भी था। अपील करीब 750 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही है, जिसके लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है। अतएवं अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को वाद का सम्मन विधिवत तामिल हुआ है तथा निर्णय हालांकि एकपक्षीय हुआ है, परन्तु पश्चातवर्ती बंटवाड़े के समय अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की अपील जो कि बंटवाड़े से संबंधित थी, उसमें नोटिस तामिल होकर उसे अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के रेस्पोन्डेन्ट के सशपथ कथन का कोई प्रतिरोध नहीं किया है। स्पष्टया उक्त अपील करीब 2½ वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा जो आधार लिये गये हैं वे न तो ठोस एवं उचित आधार हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया मिथ्या भी हैं। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा ऐसे प्रकरणों में मयाद कण्डोन नहीं किये जाने के लिए न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117, आर.बी.जे. 2014 (21) पेज 625, आर.आर. टी. 2007 (1) पेज 788, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887, आर.आर.टी. 2007

(2) पेज 939 प्रस्तुत की है, जो इस प्रकरण से सुसंगत हैं, तद्नुसार प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में अपील हालांकि बेरून मयाद होने से गुणावगुण पर विवेचन किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है, परन्तु प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि में पुत्रियों का हक नहीं होने तथा कब्जा उनका ही होने के आधार पर तथा सहमति पत्र कूटरचित होने से अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इसके विपरीत न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 232 एवं ए.आई.आर. 2016 पेज 58 पेश की हैं, जो इस प्रकरण से सुसंगत हैं। साथ ही विरासत के मामले में कब्जा गौड़ होता है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

प्रकरण में जहां तक सहमति का प्रश्न है, सहमति होने की आवश्यकता भी नहीं थी, परन्तु जहां तक सहमति का प्रश्न है, उक्त सहमति जो कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, में दो गवाहों गौतम व देवा की उपस्थिति में अधिवक्ता पूनमचन्द अहारी की पहचान से 10/– रूपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र देकर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि में वादी/रेस्पोन्डेन्ट का हक होना माना है, तद्नुसार प्रथम दृष्टया हम अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2011 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भाणा पिता नाना जी मीणा, निवासी थाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर बनाम **रमेश पुत्र सोकली पुत्री थावरा जी मीणा, निवासी थाणा, तहसील ऋषभदेव, जिला जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**6 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**ऋषभदेव**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**16**.....माह.....**06**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू..**पक्षकारान** व हाजरी.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2011 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)...रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा .. 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान .			1. स्टाम्प वकालत नामा. 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।